अपलोड/ई–मेल

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(29)खा.वि./आवंटन/2024–02560 जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

समस्त,
जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत GIVE-UP अभियान की अवधि बढाने बाबत।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 05.12.2024, 30.01.2025 एवं 27.02.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह निर्धारित प्रावधानानुसार गेहूं का वितरण कराया जाता है। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड ''राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 अनुसूची–1'' में 1. परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, 2.परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी/ अधिकारी हो, 3.एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो, एवं 4.परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जिविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोडकर) निष्कासन सूची में सम्मिलित है।

निर्देशानुसार उक्त मापदण्डों में आने वाले लाभार्थियों से खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से अपना नाम हटाने हेतु GIVE-UP अभियान की अवधि दिनांक 30 अप्रेल, 2025 तक बढायी जाती है।

अतः उक्तानुसार GIVE-UP अभियान संबंधी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी/व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित करते हुए अधिकाधिक लोगों को प्रेरित कर अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट भिजवायें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ब्रहम लाल जाट)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1– विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3– समस्त, जिला कलक्टर (रसद), राजस्थान।
4– एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (खाद्य) को विभागीय पोर्टल पर अपलोड एवं संबंधित को ई–मेल कराने हेतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brahm Lal Jat
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.03.26 18:05:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14414951